... कुमार ..., भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2014 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही टिप्पणी :–

<u>उपस्थिति</u> :–

1. उप विकास आयुक्त, जहानाबाद।
2. अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद।
3. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद।
4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद।
5. जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।
6. सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जहानाबाद।
7. जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद।
8. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद / मखुदमपुर / काको / हुलासगंज / मोदनगंज / घोसी एवं रतनी फरीदपुर।
9. अन्य पदाधिकारी।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपराह्न 04.00 बजे विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं की समीक्षा निम्न प्रकार से प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ करते हुए उन्हें आवश्यक निदेश दिये गये :–

1. **डीजल अनुदान योजना** :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से वर्ष 2014–15 के डीजल अनुदान की राशि वितरण के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा वितरण की स्थिति निम्नवत बताई गई :–

क्र.	प्रखण्ड का नाम	प्राप्त आवंटन	आवंटन के विरूद्ध निकासी	वितरण की राशि	अवशेष
1	जहानाबाद	2707666	2707666	2707666	0
2	काको	3509486	1754743	1754743	1754743
3	घोसी	2193798	1096899	500000	1693798
4	मोदनगंज	1754524	1260088	1260088	48902
5	हुलासगंज	1973724	718886	718886	1254838
6	रतनी फरीदपुर	2985440	2511270	2081922	429348
7	मखदुमपुर	490416	4071416	3674890	396526
	कुल योग :	15615054	14120968	12698195	5578155

उपरोक्त सूची एवं जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा समर्पित किये गये प्रतिवेदन में विषमता पाई गई तथा वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के द्वारा इस कार्य को व्यक्तिगत रूचि लेते हुए नहीं किया जा रहा है और न ही इसकी समीक्षा अपने स्तर से की जा रही है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिला से प्राप्त सभी आवंटन की निकासी दिनांक 01.11.2014 तक निश्चित रूप से करते हुए एवं अवशेष पड़े राशि को वितरण हेतु कैम्प आयोजित कर दिनांक 01.11.2014 को वितरण करवाना सुनिश्चित करें तथा इसका प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा, जहानाबाद को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद जिला)

बैठक के दौरान यह बात भी सामने आई कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के द्वारा राशि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को वितरण हेतु हस्तगत कराया जा रहा है, जो नियम के प्रतिकूल है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कृषि विभाग के कृषि सलाहकार एवं कृषि समन्वयक से आवेदक की मात्र पहचान करानी है, न की राशि वितरण हेतु राशि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को हस्तगत कराना है।

(अनुपालन : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद जिला)